

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क- 152 / 2014

संस्थित दिनांक- 11.03.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

जीतू उर्फ जितेन्द्र बवेले पुत्र रामेश्वर प्रसाद बवेले
उम्र 33 साल निवासी शंकर मंदिर चंदेरी

.....अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 02.01.2018 को घोषित)

- 01—अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 (6) के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 10.03.2014 को 21:00 बजे दिल्ली दरवाजे के सामने आम रोड पर नशे में मदहोश होकर चलने वाले वाहनों एवं राहगीरों को बाधा उत्पन्न की।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.03.2014 को सहायक उपनिरीक्षक राजकुमार को भ्रमण के दौरान दिल्ली दरवाजा के सामने आमरोड पर जीतू उर्फ जितेंद्र बवेले ने नशे में मदहोश होकर आमरोड पर चलने वाले वाहनों एवं राहगीरों को अवरोध पैदा कर रहा था, जिसका उक्त कृत्य 34 (6) पुलिस अधिनियम 1861 के अधीन दण्डनीय होने से जितेंद्र को गिरफ्तार कर थाने लाकर उसके विरुद्ध धारा 34 (6) पुलिस अधिनियम के तहत प्रकरण कायम कर इस्तगासा क्रमांक 1/14 अंतर्गत धारा 34 (6) पुलिस अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। अपराध जमानतीय होने पर जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने के बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 03—अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

04—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 10.03.2014 को 21:00 बजे दिल्ली दरवाजे के सामने आम रोड पर नशे में मदहोश होकर चलने वाले वाहनों एवं राहगीरों को बाधा उत्पन्न की ?
2.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

05— अभियोजन की ओर से प्रकरण में उपनिरीक्षक राजकुमार (अ0सा0-2) सहित हमरा प्रधान आरक्षक सूर्यनाथ (अ0सा0-1) व चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर R.P. शर्मा (अ0सा0-3) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। सहायक उपनिरीक्षक राजकुमार (अ0सा0-2) का अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि दिनांक 10.03.2014 को वह शाम 06:00-10:00 तक गश्त पर था, गश्त के दौरान दिल्ली दरवाजा आमरोड पर उसने पाया कि अभियुक्त शराब पीकर यातायात अवरुद्ध कर आम लोगों को परेशान कर रहा है, जिसे उसने मौके पर ही गिरफ्तार गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श-पी-1 बनाया था, जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं।

06— अभियुक्त को सहायक उपनिरीक्षक राजकुमार (अ0सा0-2) ने दिनांक-10.03.2014 को इलाका भ्रमण के दौरान दिल्ली दरवाजे के सामने से गिरफ्तारी किया था, इस बात पुष्टि गिरफ्तारी के साक्षी हमराह प्रधान आरक्षक सूर्यनाथ कौल (अ0सा0-1) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में की है तथा मौके पर ही गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श-पी-1 बनाये जाने की पुष्टि की है जिस पर इस साक्षी ने भी अपने हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है। सहायक उपनिरीक्षक राजकुमार रघुवंशी (अ0सा0-2) व प्रधान आरक्षक सूर्यनाथ कौल (अ0सा0-1) के कथनों से प्रदर्श-पी-1 का गिरफ्तारी पत्रक प्रमाणित होता है तथा यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 10.03.2014 को दिल्ली दरवाजे के सामने से अभियुक्त को यातायात अवरुद्ध करने के कारण राजकुमार रघुवंशी (अ0सा0-2) के द्वारा गिरफ्तार किया गया।

- 07— बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त की गिरफ्तारी को साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में इस आधार पर चुनौती दी गई है कि गिरफ्तारी की कार्यवाही में स्वतंत्र साक्षियों को सम्मिलित नहीं किया गया। यह उल्लेखनीय है कि पुलिस अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही को मात्र इस कारण से शंका की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है कि गिरफ्तारी स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष नहीं हुई। पुलिस अधिकारी की साक्ष्य का भी अन्य साक्षियों की साक्ष्य की तरह मूल्यांकन किया जाना है। स्वतंत्र साक्षियों को साक्षी न बनाये जाने के संबंध में राजकुमार रघुवंशी (अ0सा0-2) व सूर्यनाथ कौल (अ0सा0-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में पर्याप्त कारण बताये गये हैं। राजकुमार रघुवंशी (अ0सा0-1) का कहना है कि अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर है और जिला बदल भी रह चुका है कि इस कारण से छोटू शिवहरे व एक अन्य चाय वाला यह कह कर साक्षी नहीं बने कि अभियुक्त उसे बाद में परेशान करेगा। वहीं सूर्यनाथ कौल (अ0सा0-1) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट किया है कि साक्षियों ने आरोपी की वजह से हस्ताक्षर नहीं किये।
- 08— यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान परिवेश में कोई स्वतंत्र व्यक्ति अकारण बिना किसी हित के पुलिस की कार्यवाही का साक्षी नहीं बनाता है तथा पुलिस के द्वारा की जा रही कार्यवाही में साक्षी बनने परहेज करता है। अतः ऐसे में पुलिस अधिकारियों के द्वारा की जा रही कार्यवाही को स्वतंत्र साक्ष्य के अभाव में पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। अभियुक्त की ओर से ऐसी कोई प्रतिरक्षा स्थापित नहीं की गई जो अकारण पुलिसकर्मियों के द्वारा उसे प्रकरण में झूठा फंसाने का एक युक्ति युक्त आधार स्पष्ट करती हो।
- 09— अभियुक्त गिरफ्तारी के समय शराब के नशे था, इस बात की पुष्टि स्वयं चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर R.P. शर्मा (अ0सा0-3) ने अपने न्यायालीन कथनों में की है तथा डॉक्टर R.P. शर्मा (अ0सा0-3) का कहना है कि उसने चिकित्सीय परीक्षण में अभियुक्त को शराब का सेवन किये पाया था जिसके संबंध में प्रदर्श-पी-3 की रिपोर्ट भी तैयार की थी, जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं। अतः चिकित्सीय साक्ष्य से भी राजकुमार रघुवंशी (अ0सा0-2) के कथनों की पुष्टि होती है कि घटना दिनांक को दिल्ली दरवाजा चंदेरी से अभियुक्त को गिरफ्तारी किया गया, तो वह शराब के नशे में था। अभियुक्त शराब पीकर आवागमन अवरुद्ध कर रहा था इस संबंध में राजकुमार रघुवंशी (अ0सा0-1) की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

- 10- फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 10.03.2014 को 21:00 बजे दिल्ली दरवाजे के सामने आम रोड पर नशे में मदहोश होकर चलने वाले वाहनों एवं राहगीरों को बाधा उत्पन्न की
- 11- फलत अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र बवेले पुत्र रामेश्वर प्रसाद बवेले के विरुद्ध पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 (6) के आरोप प्रमाणित होने से अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र बवेले पुत्र रामेश्वर प्रसाद बवेले पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 (6) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।
- 12- अभियुक्त की आयु अपराध की प्रकृति, परिस्थिति एवं गंभीरता को देखते हुये अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र बवेले पुत्र रामेश्वर प्रसाद बवेले को धारा 34 (6) पुलिस अधिनियम 1861 के अपराध का दोषी पाते हुये धारा 34 (6) पुलिस अधिनियम 1861 के आरोप में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 50/- रुपये (पचास रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 01 दिवस (एक दिवस) का पृथक से कारावास भुगताया जावे।
- 13-अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

